निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या 12 वर्ष 2018-19

यह निरीक्षण प्रतिवेदन **सहायक निदेशक, रेशम , अल्मोड़ा** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय सहायक निदेशक, रेशम , अल्मोड़ा के माह 06/2012 से 04/2018 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री आर०एन०यादव, श्री राजेश डोभाल सहायक लेखा परीक्षा अधिकारियों एवं श्री शरद चौधरी, सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी(तदर्थ) द्वारा दिनांक 26/05/2018 से 31/05/2018 तक श्री नीरज चुंगू, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्णकालिक पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. **परिचयात्मकः** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री नीरज श्रीवास्तव, श्री गोविन्द सिंह एवं श्री राजेश कुमार सिन्हा, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियो द्वारा दिनांक 10.06 2012 से 14.06.2012 तक श्री सी०एस० बोहरा, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 08/2009 से 05/ 2012 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 06/2012 से 04/2018 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।
2. (i) **इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः** शहतूत वृक्षारोपण, रेशम कोया उत्पादन जनपद- अल्मोड़ा, बागेश्वर एवं पिथोरागढ़ ।

(ii) (अ) विगत तीन वर्षों मे बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निमन्वत हैं।

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आधिक्य (+) `	बचत (+) `
	स्थापना `	गैर स्थापना `	आवंटन `	व्यय `	आवंटन `	व्यय `		
2012-13	-	-	5787808	5787808	1855289	1855289	-	-
2013-14	-	-	7066573	7066573	829142	829142	-	-
2014-15	-	-	6988011	6988011	537276	537276	-	-
2015-16	-	-	7259472	7259472	1461051	1461051	-	-
2016-17	-	-	8497842	8497842	2192792	2192792	-	-

2017-18	-	-	8858889	8858889	1890879	1890879	-	-

(ब) केंद्र पुरोनिधानित योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैं।

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष `	प्राप्त `	व्यय `	आधिक्य `	बचत (-) `
2012-13	CDP		4539150	4539150		
2013-14	-	NIL	-	-	-	-
2014-15	-	NIL	-	-	-	-
2015-16	RKVY	NIL	7262500	7259000		
2016-17	RKVY	NIL	2929800 8045700	2929800 8006200		
2017-18			-	-		

(ii) इकाई को बजट आवंटन उत्तराखंड शासन द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई **'सी'** श्रेणी की है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

रेशम निदेशालय उत्तरखण्ड, स्वीकृत विभागीय ढांचा

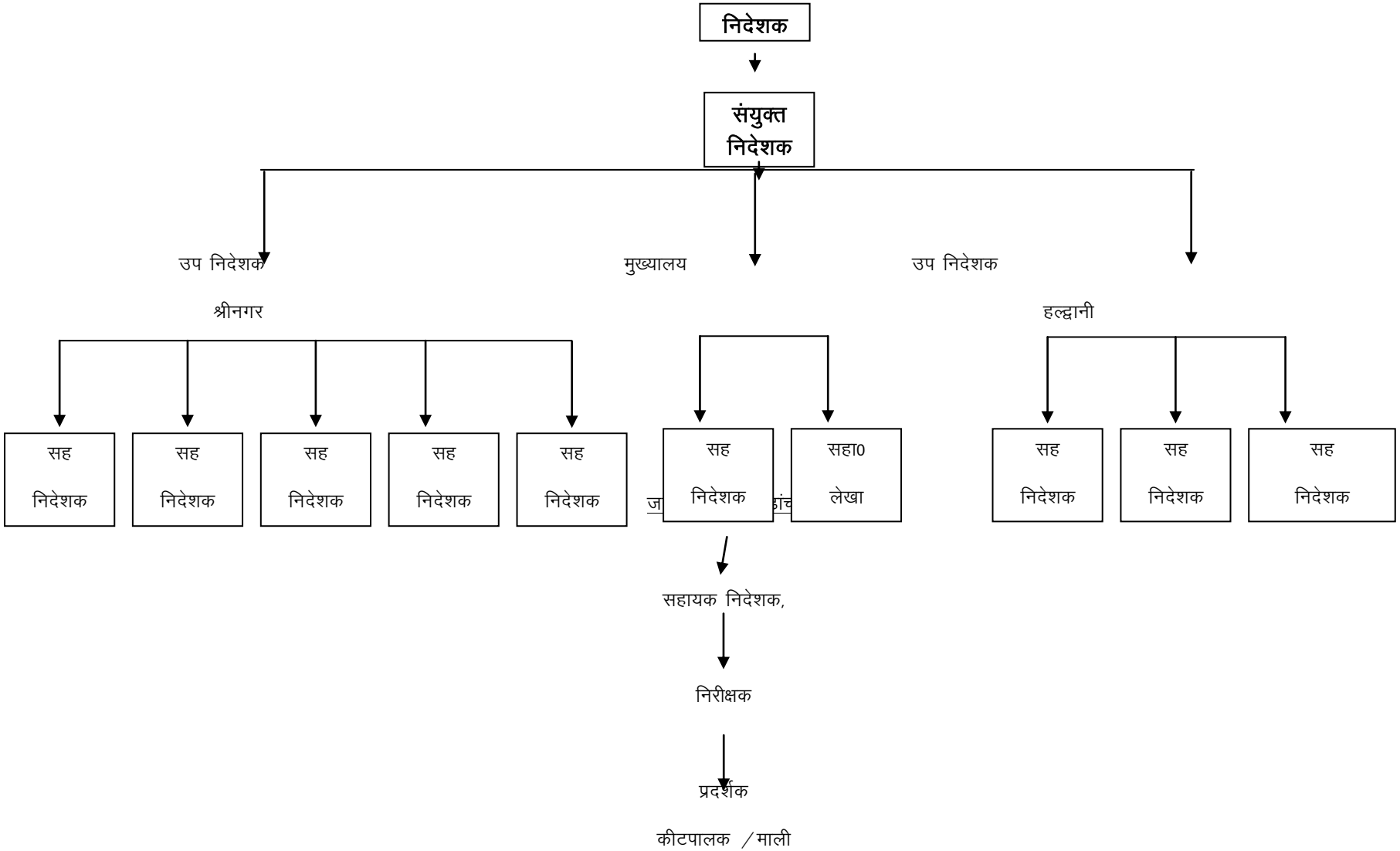

(iii) **लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः** लेखापरीक्षा में **सहायक निदेशक, रेशम , अल्मोड़ा** को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियो के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **सहायक निदेशक, रेशम , अल्मोड़ा** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 03/2013, 09/2016 एवं 10/2017 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया।

(iv) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13, लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग–दो (ब)

प्रस्तर 1– केन्द्रपोषित कैटेलिटिक योजना मे अवमुक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र (UC) प्रेषित नहीं किया जाना तथा योजना की धनराशि रू0 52.50 लाख का व्ययवर्तन एवं **सेविंग बैंक अकाउंट में प्राप्त ब्याज की धनराशि रुपए 15.82 लाख का अवरूद्ध रखा जाना।**

कार्यालय सहायक निदेशक, रेशम, अल्मोड़ा की लेखापरीक्षा नमूना जॉच (माह 05/2018) में पाया गया कि 12वीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय रेशम बोर्ड (भारत सरकार) की सहायता से प्रदेश में केन्द्रपोषित कैटेलिटिक योजना (CDP) का संचालन किया गया जिसके अन्तर्गत राज्य में नये रेशम क्लस्टर विकसित कर लाभार्थियों को वृक्षारोपण, कीटपालन भवन तथा कीटपालन उपकरण आपूर्ति हेतु सहायता उपलब्ध कराई गयी। **12वी पंच वर्षीय योजना के अंतर्गत वर्ष 2014-15 तक केंद्रीय रेशम बोर्ड की सहयाता से प्रदेश मे सी० डी० पी० योजना का संचालन (90:10 के अनुपात) मे किया गया। लेकिन वर्ष 2015-16 से उपरोक्त सी० डी० पी० योजना को भारत सरकार द्वारा समाप्त कर सी०एस०एस० (80:10:10 केन्द्र: राज्य: लाभार्थी के अनुपात) योजना को पुनर्गठित किया गया।** केन्द्रांश/राज्यांश के रूप में उपरोक्त कैटेलिटिक योजना के अन्तर्गत वर्ष 2012–13 में रू0 45.39 लाख की धनराशि सहायक निदेशक, रेशम, अल्मोड़ा कार्यालय को आबंटित/प्राप्त हुई थी। परन्तु उक्त **योजना मे अवमुक्त की गयी धनराशि की उपयोगिता प्रमाण पत्र (UC) निदेशालय कार्यालय को प्रेषित नहीं किया गया था |**

योजना सम्बन्धी अभिलेखो की जांच में आगे पाया गया कि CDP योजना के तहत सहायक निदेशक(रेशम), अल्मोड़ा को दिनांक 22 सितम्बर 2016 को धनराशि रू0 52.50 लाख का व्ययवर्तन करते हुये आबंटन किया गया था जबकि भारत सरकार द्वारा CDP योजना को वर्ष 2014–15 के पश्चात् बन्द कर दिया गया था. उक्त धनराशि रू0 52.50 लाख को लेखापरीक्षा तिथि (05/2018) तक व्यय नही किया गया था। उक्त CDP धनराशि रू0 52.50 लाख जो जनपद देहरादून एवं हरिद्वार में व्यय नही की जा सकी थी से व्ययवर्तन कर मनरेगा कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के 100 लाभार्थियों को कीटपालन भवन निर्माण सहायता हेतु कन्वरजेन्स

धनराशि के रूप में उपलब्ध करायी गयी थी (जिस पर भारत सरकार की स्वीकृति प्राप्त नही की गयी थी) जिसमें से प्रत्येक की लागत रू0 100000 थी इस धनराशि में अनुपात 45:45:10 था अर्थात विभाग की CDP योजना की कन्वरजेन्स धनराशि रू0 45000, मनरेगा रू0 45000 तथा लाभार्थी रू0 10000 था परन्तु अभी तक लाभार्थियों का चयन नही किया जा सका था जिसके कारण उक्त धनराशि अवरूद्ध पड़ी थी जिससे योजना के उद्देश्यों की पूर्ति नही हो पा रही थी ।

उक्त के सन्दर्भ में इंगित किये जाने पर इकाई ने अवगत कराया कि उपयोगिता प्रमाण पत्र की निदेशालय द्वारा मांग नही की गयी, उक्त धनराशि निदेशालय से प्राप्त है जो कि जनपद देहरादून एवं हरिद्वार की है भारत सरकार की स्वीकृति तथा व्ययवर्तन के सम्बन्ध में अवगत कराया गया कि निदेशालय से जानकारी प्राप्त करने पर अवगत कराया जायेगा तथा योजना पर वर्ष 2018–19 में अतिशीघ्र व्यय किया जायेगा। इकाई का उत्तर तर्कसंगत नही था क्योकि **योजना मे अवमुक्त की गयी धनराशि की उपयोगिता प्रमाण पत्र (UC) निदेशालय कार्यालय को प्रेषित नहीं किया गया था |** योजना के प्रावधानों के विरूद्ध भारत सरकार से अनुमोदन प्राप्त न कर उक्त धनराशि रू0 52.50 लाख का व्ययवर्तन कर मनरेगा कार्यक्रम के अन्तर्गत व्यय किये जाने की योजना बनायी गयी परन्तु उक्त धनराशि **को लेखा परीक्षा** तिथि तक 21 माह का समय व्यतीत होने के पश्चात भी सेविंग अकाउंट में अवरूद्ध **रखने के साथ ही धनराशि पर प्राप्त ब्याज की धनराशि रुपए 15.82 लाख को भी** अवरूद्ध रखा गया था।

अतः केन्द्रपोषित कैटेलिटिक **योजना मे अवमुक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र (UC) निदेशालय को प्रेषित नहीं किये जाने तथा योजना की** धनराशि रू0 52.50 लाख का व्ययवर्तन एवं **सेविंग बैंक अकाउंट में रखने के साथ ही इस पर प्राप्त ब्याज की धनराशि रुपए 15.82 लाख का** अवरूद्ध रखे जाने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग 2(ब)

प्रस्तर 2: राजकीय रेशम फार्म ग्राम-आधारमाफी तल्ला तिखुन मे `14 लाख लागत से चाकी कीट पालक भवन निर्माण शासनादेश के विरुद्ध निर्माण कार्य पर एमओयू न किया जाना, खंड विकास अधिकारी द्वारा फार्म पर सिचाई हेतु टैंक निर्माण व जल संचय हेतु बांध निर्माण के हेतु पर्याप्त प्रयास न किया जाना तथा अधूरे भवन निर्माण होने के बावजूद भी अधिग्रहण।

ग्राम-आधारमाफी तल्ला तिखुन मे वन पंचायत द्वारा विभाग को रेशम उत्पादन कार्यक्रम हेतु 30 वर्ष लीज़ पर 3 है0 भूमि उपलब्ध (7/10/2015) कराई गयी थी। उक्त भूमि को इस कार्य मे प्रयोग मे लाने हेतु प्रभागीय वनाधिकारी अल्मोड़ा द्वारा अनुमति (28/9/2015) इस प्राविधान से दी थी कि उक्त भूमि को वृक्षारोपण के अतिरिक्त किसी अन्य कार्य मे प्रयोग नहीं लाया जाएगा।

कार्यालय द्वारा जिला योजना/राज्य योजना के अंतर्गत उक्त भूमि पर जनवरी 2016 मे 8500 व मानसून स्तर 2016 मे उक्त भूमि पर 4500 शहतूत पौध का रोपण किया गया। आतिथि मे मुख्य विकास अधिकारी, अल्मोड़ा के स्थल निरीक्षण के अनुसार 11000 (84%) शहतूत पौध जीवित है। आगे अभिलेखो मे पाया गया कि खंड विकास अधिकारी द्वारा उक्त भूमि के स्थलीय निरीक्षण (3-1-2016) के दोरान फार्म पर रोपित शहतूत पौध कि सिचाई हेतु जल संचय टैंक हेतु बांध निर्माण एवं सिचाई हेतु फार्म पर टैंक निर्माण व अन्य कार्य सम्पन्न कराये जाने हेतु प्रस्ताव मांगा था जिसको इकाई द्वारा 31 जनवरी 2016 को प्रेषित किया गया था लेकिन प्रस्ताव[1] को पारित किए जाने हेतु कार्यालय द्वारा आगे कोई कार्यवाही आतिथि तक सुनिश्चित नहीं की थी। जिस कारण से ये भूमि अभी भी असिंचित भूमि मे आती है।

आगे अभिलेखो मे पाया गया कि कार्यालय द्वारा जिला योजना के अंतर्गत वर्ष 2016-17 मे राजकीय रेशम फार्म मे चाकी कीट पालक भवन निर्माण (जिस के लिये भूमि अलग से लीज़ पर 20 साल के लिये ली गयी थी) हेतु ग्रामीण निर्माण विभाग, अल्मोड़ा से प्राकलन लागत `14 लाख बनवाया था। लेकिन कार्यालय द्वारा इस सम्बंध मे शासनादेश के विरुद्ध कोई एम0ओ0यू0 नहीं किया गया था। इस के अतिरिक्त सहायक निदेशक द्वारा निर्माण इकाई को भवन को बेहतर उपयोग मे लाने हेतु कुछ नये प्राविधान किए जाने हेतु लिखा था जिसमे मुख्यता छत कि ऊंचाई 11 फीट किया जाना, 6 फुट का कच्चा पत्थर का बरामदा व सामने

[1] वृक्षारोपण की दृष्टि से अति आवशयक थी

की और छत 4 फुट बाहर निकाला जाना था। प्रस्तुत अभिलेखो मे इस संदर्भ मे कोई कार्यवाही निर्माण इकाई द्वारा नहीं की गयी थी और भवन 9/5/2018 को रेशम विभाग को अधिग्रहण करने हेतु हस्तातरित किया था लेकिन उक्त भवन के कुछ निर्माण कार्य अधूरे थे जिसको मुख्य विकास अधिकारी के निर्देशों के उपरांत भी पूर्ण[2] नहीं किया था निर्माण इकाई द्वारा इस के अतिरिक्त कार्य पर उनके द्वारा किया गया व्यय का लेखा जोखा कार्यालय को उपलब्ध नहीं कराया था और न ही अवमुक्त धनराशि पर अर्जित ब्याज को वापस किया गया था।

उपरोक्त के संबंध मे पूछे जाने पर इकाई द्वारा अवगत कराया गया कि सिचाई हेतु जल संचय टैंक हेतु बांध निर्माण एवं सिचाई हेतु फार्म पर टैंक निर्माण व अन्य कार्य सम्पन्न कराये जाने की आवश्यकता है एवं कार्य हेतु प्रयास किए जा रहे है, एक मुश्त धनराशि प्राप्त न होने के कारण एमओयू नहीं किया गया है, सहायक निदेशक द्वारा दिये गए निर्देशों के अनुसार कार्य पूर्ण कर लिये गये है तथा भवन पर बसंत फसल 2018 का कीटपालन कार्य जनहित मे किए जाने के कारण भवन को अधूरे निर्माण कार्यो समेत अधिग्रहण किया गया था। सहायक निदेशक द्वारा निर्माण एजेन्सी को दिये गए निर्देशों की पूर्ति सबंधित अभिलेख कार्यालय द्वारा लेखा परीक्षा को साक्ष्य के रूप मे उपलब्ध नहीं कराये गये तथा कार्यालय द्वारा दिया गया उत्तर स्वत: ही लेखा परीक्षा की आपत्ति की पुष्टि करता है कि कार्यालय द्वारा शासनादेश के विरुद्ध निर्माण कार्य पर एमओयू नहीं कराया गया था, खंड विकास अधिकारी द्वारा फार्म पर सिचाई हेतु टैंक निर्माण व जल संचय हेतु बांध निर्माण के लिये दिये गये निर्देशों के पालन का कार्यालय द्वारा पर्याप्त प्रयास नही किया गया था तथा निर्माण कार्य पर किये गये कुल व्यय के प्रपत्र उपलब्ध न होना विभागीय शिथिलता को परिलक्षित करता है

अत: राजकीय रेशम फार्म ग्राम-आधारमाफी तल्ला तिखुन मे `14 लाख लागत से चाकी कीट पालक भवन निर्माण शासनादेश के विरुद्ध निर्माण कार्य पर एमओयू न किया जाना, खंड विकास अधिकारी द्वारा फार्म पर सिचाई हेतु टैंक निर्माण व जल संचय हेतु बांध निर्माण के लिये पर्याप्त प्रयास न किया जाना तथा अधूरे भवन निर्माण के बावजूद भी अधिग्रहण का प्रकरण उच्च अधिकारियों के सज्ञान मे लाया जाता है।

---

[2] अधूरे कार्यो मे भवन की सी0डी0, एप्रन, पीट का डकन फ्लश बोर्ड, दरवाज़ो की कुंडिया, सीट आदि शामिल है

भाग 2 (ब)

प्रस्तर 3:- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना 2014 के नियमो का अनुपालन न करना एवं उत्तराखंड आधिप्राप्ति (प्रोक्योरमेंट) (संशोधन) नियमावली 2015 का उल्लघन करते हुए बिना कोटेशन के ही ` 4,33,780.00 की सामान की ख़रीददारी करना एवं `30,946.00 का धन का व्ययवर्तन (diversion of fund) किया जाना।

प्रदेश मे रेशम विकास गतिविधियों मे गतिशीलता लाने के उद्देश्य से 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत केंद्र एवं राज्य सरकार की सहायता से संचालित योजनाओं के अधीन रेशम उत्पादन हेतु कृषकों की भूमि पर शहतूत वृक्षारोपण सम्पन्न कराते हुए लाभार्थियों को कीटपालक सामग्री, विशुद्धिकरण आदि कार्यों हेतु सहायता उपलब्ध कराई जा रही हैं। जिसके तहत योजना को संचालित करने हेतु वर्ष 2015-16 व 2016-17 मे निदेशालय, रेशम विभाग, उत्तराखंड देहारादून के माध्यम से भारत सरकार द्वारा कार्यालय को कुल ` 1,82,58,000.00 की धनराशि प्राप्त हुई थी। जिसमे से अभिलेखों के अनुसार ` 1,81,95,000.00 का व्यय दर्शाया गया हैं। एवं अवशेष धनराशि ` 63,000.00 बची हैं। जबकि कार्यालय के संबन्धित योजना के बचत खाता संख्या- 689010110003338 की जांच मे पाया गया की आतिथि तक ` 55,70,391.00 अवशेष हैं। जिसमे से ` 5,60,469.00 ब्याज के रूप मे प्राप्त हुआ हैं।

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY) गाइड लाइंस 2014 के अनुसार मुख्य उद्देश्य निम्न हैं-

1. To incentivize the States so as to increase public investment in Agriculture and allied sectors.
2. To ensure that the local needs/crops/priorities are better reflected in the agricultural plans of the States
3. To achieve the goal of reducing the yield gaps in important crops, through focused interventions.
4. To maximize returns to the farmers in Agriculture and allied sectors.
5. To bring about quantifiable changes in the production and productivity of various components of Agriculture and allied sectors by addressing them in a holistic manner.

Further as per para no. 8.6 of above guidelines, State Level Sanctioning Committee(SLSC) shall ensure the adequate coverage of small and marginal farmers, SC, ST, physically challenged, women and other weaker segments

of society is ensured so that the benefits of implementation are inclusive and accrue to the intended beneficiaries
in accordance with Govt. guidelines and policies.
As per para 9.6, as envisaged in National Policy for Farmers (2007) (para 11-viii), Panchayati Raj Institutions (PRI) should be actively involved in implementation of RKVY especially in selection of beneficiaries, conducting social audit etc.
शासन के पत्रांक-1679/XIII-I/2017-16-RKVY/2017-18 दिनांक-14 दिसम्बर 2017 के पैरा-7 के अनुसार उपयोग के पश्चात धनराशि शेष बचती हैं तो उसकी सूचना वित्तीय वर्ष के अंदर ही शासन को उपलब्ध कराई जाएगी।
उक्त योजना के अंतर्गत मुवानी, पिथौरागढ़ एवं कपकोट,बागेश्वर का चयन किया गया था। इसके अंतर्गत कुल 200 लोगों को लाभार्थी बनाया गया जो वृक्षारोपण कर एवं कीटपालन भवन का निर्माण कर एवं कोया तैयार कर रेशम बनाने मे सहयोग करेगे।
इसके अतिरिक्त हर साल एक कलस्टर मे एक कृषि मेले एवं एक वर्कशॉप का आयोजन किया जाना होता हैं। एवं कुल 04 मेलो एवं 04 वर्कशाप का आयोजन भी किया जाना था।
Monitoring & Evaluation:
As per para 12.1, states will be responsible for timely submission/ updating project data online in the system (preferably on a fortnightly basis) which has been designed to. As per para 12.3, 25% of the projects sanctioned by the state each year under the three streams e.g. RKVY (production growth), RKVY (infrastructure & Assets) & RKVY (Sub-schemes) shall have to be compulsorily taken up for third party monitoring and evaluation by
the implementing states. अत: योजना मे कराये जा रहे कार्यों का समय समय पर भौतिक निरीक्षण /पर्यवेक्षण किया जाना आवश्यक हैं। एवं जिस हेतु रेशम निदेशालय उत्तराखंड, देहरादून के पत्रांक-1311(8)/रेशम/ तक0अनु0/2017-18 दिनांक-08 दिसम्बर 2017 मे भी लिखा गया हैं। जिससे भारत सरकार द्वारा दिये गए धनराशि का सदुपयोग किया जा सके। आवंटित धनराशि का व्यय अविलम्ब सुनिश्चित कर भौतिक एवं वित्तीय प्रगति रिपोर्ट निदेशालय को तिमाही भेजी जानी चाहिए थी। कार्यालय के अभिलेखो की जांच मे पाया गया हैं कि सहायक निदेशक द्वारा आर0के0वी0वाई0 के अंतर्गत चल रहे रेशम कलस्टर-मुवानी, पिथौरागढ़ एवं रेशम कलस्टर कपकोट- बागेश्वर का योजना के शुरू होने के वर्ष 2015-16 से लेखा परीक्षा तिथि तक कोई भी निरीक्षण नही किया गया।

आर0के0वी0वाई0 के अंतर्गत मूगा कलस्टर- कपकोट जनपद- बागेश्वर मे बीजागार भवन का निर्माण एवं उपकरणों की खरीद की जानी थी। जिसके लिए `11.35 लाख की धनराशि

अवमुक्त की गयी थी। जिसमे से भवन निर्माण हेतु `6.36 लाख एवं उपकरणों की खरीद हेतु `4.68 लाख की निदेशालय, रेशम विभाग, उत्तराखंड द्वारा क्रमश: पत्रांक 339/रेशम/तक0अनु0 /नि0का0/2016-17 दिनांक-07.06.2016 एवं पत्रांक-269/रेशम/भंडार-27/2016-17 दिनांक-28.05.2016 को प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी थी। दिनांक-28.05.2016 के पत्रांक मे निदेशालय द्वारा निर्देश दिये गए थे कि सामानों का क्रय उत्तराखंड आधिप्राप्ति (प्रोक्योरमेंट) (संशोधन) नियमावली 2015 के अनुसार किया जाय। कार्यालय के लेखा अभिलेखो की जांच मे पाया गया हैं कि कार्यालय द्वारा सामान क्रय हेतु उत्तराखंड आधिप्राप्ति (प्रोक्योरमेंट) (संशोधन) नियमावली 2015 का उल्लघन करते हुए बिना कोटेशन के ही `4,33,780.00 की ख़रीददारी की गयी। एवं बीजागार निर्माण के मद से `30,946.00 की धनराशि का भुगतान रेशम फार्म कफलखेत मे मूंगा पौध वृक्षारोपण इत्यादि हेतु किया गया जो की धन का व्ययवर्तन (diversion of fund) हैं। इस संबंध मे लेखा परीक्षा दल को अवगत कराये कि-

उक्त की ओर इंगित किए जाने पर खंड द्वारा अवगत कराया गया कि PRI के माध्यम से सोशल ऑडिट का चयन नही किया जा रहा हैं। मेलो एवं वर्कशॉप का आयोजन नही किया गया हैं। केन्द्रीय रेशम बोर्ड के अधिकारियों द्वारा समय नही देने के कारण निरीक्षण नही किया गया। व न ही third party monitoring and evaluation करवाया गया। बीजागार निर्माण हेतु ` 4,33,780.00 का सामान फ़र्मों से रेट प्राप्त होने के बाद खरीदा गया। एवं बीजागार निर्माण के मंद मे पौधरोपन का प्राविधान था। कार्यालय के उत्तर मान्य नही हैं क्योकि दक्षता बढ़ाने के लिए सोशल ऑडिट एवं मेलों व वर्कशॉप का आयोजन निरीक्षण किया जाना चाहिए था। कोटेशन द्वारा सामानों का क्रय किया जाना चाहिए था एवं धन का व्ययवर्तन नही किया जाना चाहिए।

अत: राष्ट्रीय कृषि विकास योजना 2014 के नियमो का अनुपालन न करने एवं उत्तराखंड आधिप्राप्ति (प्रोक्योरमेंट) (संशोधन) नियमावली 2015 का उल्लघन करते हुए बिना कोटेशन के ही ` 4,33,780.00 की सामान की ख़रीददारी किए जाने एवं `30,946.00 का धन का व्ययवर्तन (diversion of fund) करने का प्रकरण संज्ञान मे लाया जाता हैं।

भाग-2 (ब)

प्रस्तर 4:- ` 1.82 करोड़ धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशालय मे नही भेजा जाना।

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत योजना को संचालित करने हेतु वर्ष 2015-16 व 2016-17 मे निदेशालय, रेशम विभाग, उत्तराखंड देहारादून के माध्यम से भारत सरकार द्वारा कार्यालय को ` 1.83 करोड़ की धनराशि प्राप्त हुई थी। जिसमे से अभिलेखों के अनुसार ` 1.82 करोड़ व्यय दर्शाया गया हैं। एवं अवशेष धनराशि ` 0.63 लाख बची हैं।

इस संबंध मे राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY) गाइड लाइंस 2014 के पैरा न0 10.3 के अनुसार- release of the second and final instalment would be considered on the fulfilment of the following conditions:

a) 100% utilization certificates (UCs) for the funds released upto previous financial year.
b) Expenditure of at least 60% of funds released in first instalment during current year
c) Submission of performance report in terms of physical and financial achievements as well as outcomes, on a quarterly basis, within the stipulated time frame in specified format.

As per para 10.7, the amounts of the second and final instalment of the allocation will depend upon the progress of utilization of funds, states should ensure that the funds
released are utilized promptly, properly and progress reports are sent to Department of Agriculture (DAC) at the earliest.

कृषि निदेशालय, उत्तराखंड देहारादून के द्वारा दिये गए दिशा निर्देशों के अनुसार आवंटित धनराशि का व्यय अविलम्ब सुनिश्चित कर निर्धारित प्रारूप जी0एफ0आर0-19 ए पर उपयोगिता प्रमाण पत्र तथा भौतिक एवं वित्तीय प्रगति रिपोर्ट को तिमाही भेजी जानी चाहिए थी। तथा अवशेष धनराशि की सूचना वित्तीय वर्ष के अंदर ही निदेशालय/शासन को उपलब्ध करनी होगी। इस संबंध मे कार्यालय के अभिलेखो की जांच मे पाया गया हैं कि कार्यालय द्वारा अपने अधीनस्थ कार्यालयों से कोई भी उपयोगिता प्रमाण की मांग नही की गयी हैं। एवं न ही अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा कोई भी उपयोगिता प्रमाण पत्र इस कार्यालय को भेजा हैं। तथा न ही कार्यालय द्वारा कोई उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशालय, रेशम विभाग को भेजा गया। जिससे निदेशालय उपयोगिता प्रमाण पत्र कृषि निदेशालय, उत्तराखंड देहारादून को भेज

दें। एवं अगली किस्त अवमुक्त हो जाए। (परंतु फिर भी निदेशालय ने उपयोगिता प्रमाण पत्र बिना प्राप्त किए ही अपने अधीनस्थ कार्यालयो को अगली किस्त भेज दी हैं) इस संबंध मे निदेशालय द्वारा पत्रांक-662(7)/रेशम/तक0 अनु0/ 2015-16 दिनांक- 02 सितंबर 2015 द्वारा भी अनुस्मारक भेजा गया हैं।
इस ओर इंगित किए जाने पर कार्यालय द्वारा अवगत कराया गया कि निदेशालय द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र की मांग नही की गयी इसलिए कार्यालय द्वारा नही भेजी गयी। कार्यालय के उत्तर स्वत: ही लेखा परीक्षा आपतियों की पुष्टि करता हैं।

अत: ` 1.82 करोड़ धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशालय मे नही भेजने का प्रकरण संज्ञान मे लाया जाता हैं।

STAN

प्रस्तर 1 : रेशम कीटाण्ड आपूर्ति पर ` 4.28 लाख के दायित्व का सृजन ।

प्रदेश के रेशम कीटपालको की रेशम कीटाण्ड आपूर्ति हेतु भुगतान मे सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से शासन द्वारा राज्य आयोजनागत योजना के अंतर्गत 0713- रेशम कीटाण्ड आपूर्ति हेतु सहायता योजना संचालित की जा रही है। इस योजना के अंतर्गत रेशम कीटपालको से `1 प्रति डी0एफ0एल0 की दर से रेशम कीटाण्ड मूल्य कटौती करते हुए शेष रेशम कीटाण्ड मूल्य योजना के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा वहन किए जाने के प्राविधान है। कार्यालय के अभिलेखो की जांच मे पाया गया कि जनपद पिथौरागढ़, बागेश्वर व अल्मोड़ा मे रेशम कीटपालको की रेशम कीटाण्ड आपूर्ति हेतु वर्ष 2015 से 2018 तक केन्द्रीय रेशम बोर्ड, भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गयी थी। लेकिन योजना के अनुसार बजट मे विगत तीन वर्षो से विभाग द्वारा प्राप्त आपूर्ति रेशम कीटाण्ड व उक्त के मूल्य के अनुसार अनुमान नहीं रखा गया था। जिस कारण से विभाग की आतिथि तक `4.28 लाख[3] केन्द्रीय रेशम बोर्ड, भारत सरकार की देयता थी। अभिलेखो मे आगे जांच मे पाया गया कि वर्ष 2016-17 व 2017-18 मे कृषको से रेशम कीटाण्ड आपूर्ति की धनराशि सी0 आर0 सी0 द्वारा कार्यालय को केन्द्रीय रेशम बोर्ड, भारत सरकार को भेजे जाने हेतु जमा नहीं किया गया था और उक्त लाभार्थी/कृषको से कुल 0.50 लाख रेशम कीटाण्ड मूल्य (अंश) 2015-16 से 2017-18 तक लिया जाना लम्बित है जो विभागीय लापरवाही को परिलक्षित करता है।
इस और इंगित किए जाने पर कार्यालय द्वारा अवगत कराया गया कि बजट की मांग शासन से निदेशालय द्वारा की जाती है उक्त अनुसार निदेशालय द्वारा बजट आवंटित किया जाता है। इस के अतिरिक्त अवगत कराया गया कि कृषको से धनराशि प्राप्त करने हेतु संबन्धित फार्म/केन्द्र प्रभारियों को आदेशित किया गया है वसूली कार्य प्रगति पर है। कार्यालय द्वारा दिया गया उत्तर स्वत: ही लेखा परीक्षा की आपत्ति की पुष्टि करता है केन्द्रीय रेशम बोर्ड, भारत सरकार रेशम कीटाण्ड आपूर्ति की धनराशि का भुगतान न करने के कारण भविष्य मे लाभार्थी/कृषको को रेशम कीटाण्ड आपूर्ति मे बाधा आएगी।

अत: रेशम कीटाण्ड आपूर्ति पर `4.28 लाख के दायित्व का सृजन (लाभार्थी अंश सहित) के कारण भविष्य मे लाभार्थी/कृषको को रेशम कीटाण्ड आपूर्ति मे बाधा होने का प्रकरण उच्च अधिकारियों के सज्ञान मे लाया जाता है।

---

[3] विगत तीन सालो का `4.28 लाख + पुराने `0.04 लाख

Assistance for silk worm seed												
वर्ष		**2015-16**				**2016-17**				**2017-18**		
जनपद		**Silk worm seed**	उपलब्द/ प्राप्त धनराशि	बकाया धनराशि		**silk worm seed**	उपलब्द/ प्राप्त धनराशि	बकाया धनराशि ` मे		**silk worm seed**	उपलब्द/ प्राप्त धनराशि	बकाया धनराशि
पिथोरागढ़	राज्य अंश @ 2-50	8000	`116000	`4000	राज्य अंश @ 5-50	8600	Nil	8600@5.5= `47300	राज्य अंश @ 6-50	11900	`103000 Amount surrendered	11900@5.5= `63250
बागेश्वर		8400				8800		8800@5.5= `48400		10300		10300@5.5= `56650
अल्मोड़ा		12000				12200		12200@5.5= `67100		13700		13700@5.5 = `75350
Total liability of State Share								**` 162800**				**` 195250**
पिथोरागढ़	लाभार्थी अंश @1	8000		Nil	लाभार्थी अंश @1	8600		8600	लाभार्थी अंश @1	11900		11900
बागेश्वर		8400				8800		8800		10300		10300
अल्मोड़ा		12000				12200		12200		13700		13700
योग				**Nil**				**`29600**				**`35900**

STAN

प्रस्तर 2:- ` 52,500/- की धनराशि अवरुद्ध रहना एवं उपयोगिता प्रमाणपत्र निदेशालय को नही भेजना।

कार्यालय द्वारा प्रदत्त अभिलेखों के अनुसार वर्ष 2014-15, 2015-16 एवं 2016-17 में रेशम फार्म से जुड़े कृषको के भ्रमण तथा रेशम कीटपालन, शहतूत वृक्षारोपण, विशुद्धीकरण व कोया विपणन के विषय पर प्रशिक्षण हेतु आबंटित की गयी धनराशि का विवरण निम्नवत है -

क्र.सं.	वर्ष	जनपद	आबंटित धनराशि (.रु)	उद्देश्य
1.	2014-15	-	52500	कृषकों के भ्रमण हेतु
2.	2015-16	अल्मोड़ा बागेश्वर	30000 30000	प्रशिक्षण हेतु
3.	2016-17	अल्मोड़ा बागेश्वर पिथौरागढ़	90000 90000 135000	प्रशिक्षण हेतु
		योग	4,27,500/-	

कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराये गए अभिलेखों एवं प्रदान की गयी जानकारी के अनुसार वर्ष 2014-15 में कृषकों के भ्रमण हेतु आबंटित धनराशि का उपयोग आतिथि तक नहीं किया गया है इसके अतिरिक्त वर्ष 2015-16 में बागेश्वर तथा वर्ष 2016-17 में बागेश्वर एवं पिथौरागढ़ में संपन्न कराये गए प्रशिक्षणों का विवरण कार्यालय में उपलब्ध नहीं है इकाई द्वारा प्राप्त अभिलेखों के अनुसार उक्त खर्चे रू 4,27,500.00 का उपयोगिता प्रमाणपत्र (Utilization Certificate) निदेशालय को नहीं भेजा गया है.
इस ओर इंगित किए जाने पर कार्यालय द्वारा अवगत कराया गया कि अति शीघ्र भ्रमण करा लिया जाएगा। उपयोगिता प्रमाणपत्र (Utilization Certificate) के संबंध मे कहा गया हैं कि निदेशालय द्वारा उपयोगिता प्रमाणपत्र की मांग नही की गयी। कार्यालय के उत्तर स्वत: ही लेखा परीक्षा आपतियों की पुष्टि करता हैं।

अत:- ` 52,500/- की धनराशि अवरुद्ध रहने एवं उपयोगिता प्रमाणपत्र निदेशालय को नही भेजने का प्रकरण संज्ञान मे लाया जाता हैं।

STAN

प्रस्तर 3: योजना के अंतर्गत कम रोजगार सृजन, लक्ष्य के सापेक्ष कम कोया उत्पादन (किलोग्राम), महिलाओं का योगदान योजनाओ मे कम होना तथा SDG (गोल्स) के लक्ष्य प्राप्ति हेतु कोई कार्यवाही सुनिश्चित न किया जाना।

Goal 2.
End hunger, achieve food security and improve nutrition and promote sustainable agriculture
Goal 8.
Promote sustained, inclusive and sustainable economic growth, full and productive employment and decent work for all.
Goal 15.
Protect, restore and promote sustainable use of terrestrial ecosystems, sustainably manage forests, combat desertification, and halt and reverse land degradation and halt biodiversity loss.

विभाग को उपरोक्त तीन SDG गोल्स के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु चुना गया है। इस सन्दर्भ मे कार्यालय के लेखा अभिलेखो मे पाया गया कि निदेशालय द्वारा इस सम्बंध मे इकाई के लिये कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है और न ही कार्यालय को इस सन्दर्भ मे कोई जानकारी है। विगत तीन वर्षो मे संलंग्नक 1 के अनुसार जनपद अल्मोड़ा, बागेश्वर व पिथोरागढ़ मे लक्ष्य के सापेक्ष कम कोया उत्पादन (किलोग्राम) हुआ है व कृषको व महिलाओं का योगदान लक्ष्य के सापेक्ष व पूर्व वर्षों से निरंतर कम हो/घट रहा था। अभिलेखो मे आगे पाया गया कि अल्मोड़ा मे विगत तीन वर्षो मे जिला योजना 2015-16, 2016-17 व 2017-18 मे अनुमान से कम बजट प्राप्त होने के कारण रोजगार सृजन के लक्ष्य की पूर्ति नहीं हुई है।

उपरोक्त के संबंध मे पूछे जाने पर इकाई द्वारा अवगत कराया गया कि SDG (गोल्स) हेतु न तो निदेशालय द्वारा कोई जानकारी दी है और न ही प्लान मे इस संबंध मे कोई कार्यवाही की जा रही है। लक्ष्य के सापेक्ष कम कोया का उत्पादन (किलोग्राम) न होने का मुख्य कारण पलायन एवं ग्रामीण क्षेत्र का शहरीकरण होने व बजट की कमी है। अल्मोड़ा मे महिलाओ का योगदान योजनाओ मे बढ़ाने हेतु वर्तमान मे हो रही वृक्षारोपण से लक्ष्य पूरा किया जायेगा। कार्यालय द्वारा दिया गया उत्तर स्वत: ही लेखा परीक्षा की आपत्ति की पुष्टि करता है कि कार्यालय मे योजनाओ के सफल क्रियान्वयन व उद्देशों की पूर्ति नहीं हो पा रही है जिसका मुख्य कारण रिक्त पद जैसा कि सहायक निदेशक, 05 प्रदर्शक, 1

निरीक्षक, 4 प्रधान/कीट पालक व 3 प्रधान/माली नहीं है जो योजनाओ के सफल क्रियान्वयन व उद्देश्यों की पूर्ति के लिये अहम पद है इस के अतिरिक्त यह प्रकरण विभाग के वर्णित मूल उद्देश्यों[4] के विपरीत है SDG (गोल्स) प्राप्ति हेतु निदेशालय द्वारा कोई दिशा निर्देश न देना है।

अत: योजना के अंतर्गत कम रोजगार सृजन, लक्ष्य के सापेक्ष कम कोया उत्पादन (किलोग्राम), महिलाओं का योगदान योजनाओ मे कम होना तथा SDG (गोल्स) के लक्ष्य प्राप्ति हेतु कोई कार्यवाही सुनिश्चित न किये जाने का प्रकरण प्रकाश मे लाया जाता है।

[4] रेशम **विभाग** के प्रमुख उद्देश्य निम्न प्रकार है :

- ग्रामीण एवं उद्योग शून्य क्षेत्रों में रेशम कीटपालन संबंधी स्वरोजगार का सरलतम साधन उपलब्ध कराना।
- महिलाओं, बेरोजगार युवाओं तथा सीमान्त व भूमिहीन कृषकों की आर्थिक आत्मनिर्भरता में सुधार कराना।
- ग्रामवासियों का शहरों की ओर पलायन रोकने व कृषि पर अधिक जैविक भार कम करते हुये अल्प पूँजी पर ग्रामीण आर्थिकी का विकास करना।
- क्षेत्र में उपलब्ध श्रमशक्ति तथा संसाधनों को नियोजित करते हुये आर्थिक गतिविधि की ओर प्रेरित करना तथा बहुमूल्य विदेशी मुद्रा का अर्जन करनें में सहायता प्रदान करना।

STAN

प्रस्तर 4: 53 प्रतिशत रिक्त पदों होने के कारण विभाग मे संचालित योजनाओ के समय पर क्रियान्वयन व उद्देश्यों की पूर्ति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना व कार्यालय मे बिना वरिष्ठ सहायक पद सृजित के 9/2014 से कार्मिक कार्यरत।

कार्यालय के संगठनात्मक ढाँचो को शासनादेश संख्या 1506 दिनांक 11 दिसम्बर, 2006 द्वारा पुनरीक्षित कर पुनर्गठित किया गया है। अभिलेखो की जांच मे पाया गया कि कार्यालय मे 40 स्वीकृत पदो के सापेक्ष मात्र 21 (17 स्थाई व 4 सविदा पर) (53 %) कर्मचारी कार्यरत है। अभिलेखो मे पाया गया कि रिक्त पदो मे मुख्यता वे पद शामिल है जो विभाग के योजनाओ के क्रियान्वयन व उद्देश्यों की पूर्ति कराता है (सलग्नक 2 के अनुसार)।

विभाग मे 10 फार्म हाउस प्रदेश के तीन बड़े जिलो मे (पिथोरागढ़ 7 फार्म हाउस, बागेश्वर मे 2 फार्म हाउस व अल्मोड़ा मे 1 फार्म हाउस) कार्य क्षेत्र है लेकिन विभाग मे योजनाओ के क्रियान्वयन व उद्देश्यों की पूर्ति व सफलता प्राप्ति हेतु मुख्यता सहायक निदेशक (उप - निदेशक, रेशम विभाग हल्द्वानी द्वारा अतिरिक्त प्रभार मे इकाई का कार्य देख रहे थे) 05 प्रदर्शक, 1 निरीक्षक, 4 प्रधान/कीट पालक व 3 प्रधान/माली नहीं है जिनमे से कुछ पद आउट सोर्सिंग से भरे जाने के लिए कार्यालय द्वारा कोई कोशिश नहीं की गयी थी अभिलेखो मे आगे पाया गया कि कार्यालय मे वरिष्ठ सहायक का कोई पद सृजित नहीं है व इस पद पर स्थायी कर्मचारी 9/2014 से कार्यरत है जबकि निदेशालय मे 11/2014 से आतिथि तक (5/2018) वरिष्ठ सहायक सृजित के 4 मे से 2 पद खाली है। जिसको कार्यालय मे कार्यरत कार्मिक से भरा जा सकता था/है।

उपरोक्त के सम्बंध मे इंगित किए जाने पर कार्यालय द्वारा अवगत किया गया कि अधिक रिक्त पदो के होने से कार्यो के संचालन योजनाओ मे अत्यधिक कठनाई उत्पन होती है तथा उक्त रिक्त पदो को भरे जाने हेतु विभागीय बैठको मे कई बार मौखिक रूप से कहा भी गया है । कार्यालय द्वारा दिया गया उत्तर स्वत: ही लेखा परीक्षा की आपत्ति की पुष्टि करता है कि अधिक रिक्त पदो के होने से कार्यालय मे संचालित योजनाओ के समय पर क्रियान्वयन व उद्देश्यों की पूर्ति नही हो रही थी।

अत: 53 प्रतिशत रिक्त पद होने के कारण विभाग मे संचालित योजनाओ के समय पर क्रियान्वयन व उद्देश्यों की पूर्ति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना व कार्यालय मे सृजित वरिष्ठ सहायक पद के सापेक्ष अधिक कार्मिक कार्यरत किए जाने का प्रकरण उच्च अधिकारियों के संज्ञान मे लाया जाता है।

Name of the Department/DDO: सहायक निदेशक (रेशम), अल्मोड़ा

(Distt under jurisdiction covered: Almora, Pithoragarh, and Bageshwar

Year	Post	Sanctioned strength (SS)	Person-in-position(PIP)	Shortfall (% to col.3)	Contractual appointment	Total availability (col.4+6)/(% to col.3)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2015-16 To 2017-18	स. नि.	1	-	1	-	-
	व. स.	-	1	-	-	1
	निरीक्षक	5	4	1	-	4
	क. स.	3	1	2	-	1
	प्रदर्शक	9	4	5	-	4
	प्र. की. पा.	5	1	4	-	1
	प्र. माली	3	-	3	-	-
	कीटपालक	7	4	3	3	7
	माली	1	1	-	-	1
	चौकीदार	3	-	3	1	1
	अनुसेवक	3	1	2	-	1
	योग	40	17	24	4	21

	कर्तव्यों का विवरण				
		स्वीकृत	कार्यरत 12/2018	आउट सोर्स	कमी
सहयक निदेशक	• जनपद में रेशम विकास कार्यो का संचालन एवं तकनीकी निर्देशन। • जनपद स्तरीय अधिकारी के कर्तव्याों का निर्वहन एवं प्रशासनिक तथा वित्तीय नियंत्रण। • स्थापना संबंधी कार्यो का संचालन एवं अधीनस्थ कर्मचारियों के वेतन, भत्तों आदि का आहरण एवं वितरण।	1			1
निरीक्षक	▪ विकास खण्ड के अधीन स्थापित विभागीय उद्यानों का निरीक्षण। ▪ अधीनस्थ केन्द्रों को नवीनतम विभागीय तकनीकियों का हस्तान्तरण। ▪ कृषक स्तर पर कराये जा रहे रेशम विकास कार्यो का निरीक्षण एवं सत्यापन। ▪ कोया बाजारों में रेशम कोया क्रय –विक्रय प्रक्रिया का नियंत्रण।	**5**	**4**		1
प्रदर्शक	**1.** ग्राम / कृषक स्तर पर रेशम कीट भोज्य पौधों के उत्पादन हेतु नर्सरी स्थापित कराना तथा कृषकों को वृक्षारोपण सामग्री की आपूर्ति कराना। **2.** रेशम केन्द्र पर चॉकी कीटपालन कार्य संपन्न कराना तथा उत्तरावस्था कीटपालन हेतु कृषकों को चॉकीकृत रेशम कीटों का वितरण। **3.** प्रक्षेत्र में गुणवत्तायुक्त रेशम कोये के उत्पादन हेतु कृषकों को मार्गदर्शन उपलब्ध कराना। **4.** उत्पादित कोया के विपणन तथा त्वरित मूल्य भुगतान की व्यवस्था कराना। **5.** क्षेत्र में रेशम विकास कार्यो का प्रसार। **6.** कृषकों को सभी विभागीय योजनाओं की पूर्ण जानकारी उपलब्ध कराना। 7. इच्छुक कृषकों को विभागीय प्रशिक्षण हेतु चयनित करना।	**9**	**4**		**5**
माली	**1.** चॉकी उद्यानों पर औद्यानिक कार्यो का संचालन एवं उद्यानों का रख रखाव। **2.** चॉकी उद्यानों पर गैप फिलिंग , प्रूनिंग ट्रीमिंग एवं उर्वरकों का प्रयोग। 3. कृषकों के निजी वृक्षारोपण विकसित करने हेतु तकनीकी जानकारी प्रदान करना।				
प्रधान माली		**3**	**0**		**3**
कीटपालक	1. कीटपालन क्षेत्र में कृषकों को कीटपालन संबंधी तकनीकी जानकारी उपलब्ध कराना। **2.** कीटपालकों को निरन्तर तकनीकी मार्गदर्शन। 3. कृषकों को विभागीय योजनाओं की जानकारी उपलब्ध कराते हुये प्रदर्शक के कार्यो में सहयोग प्रदान करना।	**3**		**3**	
प्रधान कीटपालक		**5**	**1**		**4**
चौकीदार	1. फार्म की चोकीदारी करना	**3**	-	**1**	**2**
अनुसेवक		**3**	**1**		**2**

भाग–III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

क्रम सं0	निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग–।। 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग–।। 'ब' प्रस्तर संख्या
1	**61/2012-13**	**-**	**01**

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या :

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति

(प्रस्तर पर इकाई द्वारा प्रस्तुत संबंधित दस्तावेज प्रतिवेदन के साथ प्रस्तर निस्तारण के पुनरावलोकन के संबंध में संलग्न किया जा रहा है)

भाग– IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

––– शून्य –––

भाग–V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु **सहायक निदेशक, रेशम , अल्मोड़ा** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये :

(i) शून्य

2. सतत् अनियमितताएं :

(i) शून्य

3. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया

क्रम सं0	**नाम**	**पदनाम**
(1)	श्री प्रदीप कुमार	सहायक निदेशक
(2)	श्री अरविन्द पाण्डेय	सहायक निदेशक
(3)	श्री अरविन्द ललौरिया	उप निदेशक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **सहायक निदेशक, रेशम, अल्मोड़ा** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उप महालेखाकार/ आर्थिक क्षेत्र–।।, कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा)–उत्तराखण्ड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून को प्रेषित कर दी जाये।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी

आर्थिक खंड-2